

क संघन्य में विद्यमान राजस्व वाद/वादों की कार्यपुस्तिक संख्या :

व्यवक/वधक-मुच होने की स्थिति

(18.1) वधक होने की स्थिति (संस्था अधवा बैंक का नाम/कोड/वधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार/पिता-पति-संरक्षक) :

(18.2) वधक-मुच होने की स्थिति (संस्था अधवा बैंक का नाम/कोड/वधक-मुच का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार/पिता-पति-संरक्षक) :

(19) आवृत्ति :

पूर्व आवृत्तियों का विवरण

10.1) वधक आवृत्तियों द्वारा भीमान सहयोगीकरण शहर मुरादाबाद के आदेश दि. 15.07.2015 के अनुपालन में द्वारा कार्य प.क. 23 के अंतर्गत खतोनी वर्ग 1.120 से 1.125 तक खाता सं. 1.125 के माता से 1.120 को 0.85% पर गूट वध खातेदार कास्टल्दीन का नाम दर्ज करने से गूट माता से की गूट की गूटि करते हुये पूर्व खतोनी 1.114 फ से 1.119 फ के 7) खाता सं. 1.114 को आधार पर माता से 1.114 फी 0.85% को कास्टल्दीन पूजा रंभीर उर्फ उहे शिखरबला का नाम वहीर सहस्रोत्तर के रूप में दर्ज हो ठोआर 0 के 0.29.5.13 3) 1.113 फी कास्टल्दीन द्वारा भीमान सहयोगीकरण शहर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 19.8.15 के अनुपालन में द्वारा कार्य प.क. 23 के अंतर्गत खतोनी वर्ग 1.120 फ से 1.125 फ तक खाता सं. 1.125 के माता से 0.85% पर गूट वध खाता सं. 0.85 को 0.85% पर गूट वध माता से 0.85 फी 0.85% को कास्टल्दीन का नाम दर्ज हो ठोआर 0 के 0.29.5.13 1) गूट माता से की गूटि की गूटि करते हुये पूर्व खतोनी 1.114 फ को 1.114 फी 0.85% को आधार पर माता से 0.85% पर 1.125 हेतु खसरा नं. 0.166 व 0.506 हेतु उपायान्न नगर विकास प्राधिकरण के साथ गिण्डनवरी वता किरता निर्माताक भोला सिंह का नाम सहस्रोत्तर के रूप में दर्ज हो 1 ठोआर 0 के 0.29.5.13 5) 1.113 फी कास्टल्दीन द्वारा भीमान सहयोगीकरण शहर मुरादाबाद का नाम पत्नीक त वशीयताना मादिन का 1.1.8.2008 के आधार पर सक मणीय भूमिधर के रूप में दर्ज हो ठोआर 0 के 0.26.02.14 7) भोला सिंह उर्फ सोनकार कास्टील व किला मुरादाबाद का नाम पत्नीक त वशीयताना मादिन का 1.1.8.2008 के आधार पर सक मणीय भूमिधर के रूप में दर्ज हो ठोआर 0 के 0.26.02.14 8) 1.122 फी कास्टल्दीन द्वारा भीमान सहयोगीकरण शहर मुरादाबाद का मा. टी. 2015/13 SA 01 0037/15.7.15 को आदेश हुआ कि खाता सं. 12 खसरा नं. 0.166 व 0.506 हेतु कु त 2 कि ता कु त रकबा 0.85% के वकदर भाग से निक 'ता मफकार हुसेन पूजा फरसद हुसेन निवासी भिलक भोला सिंह उर्फ सोनकारपुर तहसील 9) व किला मुरादाबाद निवासी भोला सिंह भद्रसा इस्लामी मडर्स को वाली मस्जिद भाग भिलक भोला सिंह उर्फ सोनकारपुर देहात मुरादाबाद का नाम निरस्त कर उनके स्थान पर क 'ता मृजाल इस्लामी पूजा वशीरुद्दीन निवासी भोला मिया साहा तसापुर तहसील व किला समाल का नाम वशीरु पत्नीक त वेनामा दिनांक 26.5.15 10) के आधार पर दर्ज हो ठोआर के 15.7.15

Bank Details: Sentad by: VI SINGHAR VYAS HANSHAR K. ANANDIA
 डिजिटल मुद्रा - 2015 के अंतर्गत आवृत्तियों - मुद्रा
 1) - 2015 के अंतर्गत आवृत्तियों का नाम/कोड/वधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार/पिता-पति-संरक्षक

पति का नाम/माता/पिता/सहकार/करीब/सहायक
 पति का नाम/माता/पिता/सहकार/करीब/सहायक
 1) - 2015 के अंतर्गत आवृत्तियों का नाम/कोड/वधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार/पिता-पति-संरक्षक

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 1151922026602974

ग्राम क्रमांक : 115192 ग्राम का नाम (परगना) : ग्राम का नाम (परगना) : ग्राम का नाम (परगना) : ग्राम का नाम (परगना) :
 115192 सोनकपुर(मुरादाबाद) तहसील : जनपद : फसली वर्ष : 1426-1431 (01) जुलाई, 2018 से 30 भाग : 1 (1) खाता संख्या :
 06377
 श्रेणी : 4-क / उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आसोपण, अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि (क) जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धों के अंतर्गत किसी अन्तर्गत अर्जित के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश			
खसरा/ संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक), अथवा पैन नं० (6-9) स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (पूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व	
665मि	1) अतिरिक्त घोषित भूमि / --- / --- 2) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद / पूनर्भरण	1) अन्य / पत्रांक 50A/असतलदरगमद / 10-10-2025 / पूनर्भरण		665मि(115192)665290282)9.3369	1) 1/1 2) -	1) 0.6669 2) 0.3351	0.00		
नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया		दर्ज किया गया					
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9) स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / पूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9) स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / पूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)			

10) अन्य पत्र सं. 501 अमरगढ़रामद 10-10-2025	1.1) अतिरिक्त घोषित भूमि	665 मि. (1519206652002421)	1.1)	1.1) मुरादाबाद विकास	665 मि. (1519206652002421)	1.1)
पुनर्दर्शन - RAM SINGH RAWAT 07-11-2025	भूमि - ... / ... (शेष क्षेत्रफल : 0.000099)	0.3351	0.3351	प्राधिकरण मुरादाबाद / .		0.3351

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) वंधक वंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) वंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड वंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2) वंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

- 1) 1410 फ आदेशानुसार सक्षमप्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद पत्रांक सं. 150/न.भू.सी.2003 दि. 1.6.03 के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र सं. 93 दि. 19.5.03 के अन्तर्गत इस कार्यालय की पत्र सं. 93 दि. 19.5.2003 के द्वारा वाद सं. 315/1201 सरकार बनाम पूरन में अतिरिक्त घोषित भूमि गाटा सं. 263/2043, 20वर्ग
- 2) नॉटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर संबंधित भू धारक पूरन अथवा उसके वैध वारिसानो का नाम उक्त भूमि पर दर्ज हो है. तै. 8.7.03
- 3) 1410 फ आदेशानुसार रा0 नि0 पाकवड़ा द्वारा प.क. 11 क दि. 21-7-03 को आदेश हुआ कि खाता सं. 370 से मृतक पूरन के स्थान पर नरहे पुत्र पूरन नि ग्राम के नाम वतौर जारिस दर्ज हो है. तै. 21-7-03
- 4) 1410 फ आदेशानुसार विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक सं. 1183/आठ वि. भू. अ. अ./मुरादाबाद दि. 16.3.2002 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर में गाटा सं. 263 पर अनलदरामद में हुई ट्रुटि का परीक्षण कराकर संशोधन कि या गया के अनुसार गाटा सं. 263 मि / 1.25 एकड़ के स्थान पर 0.94 एकड़ भूमि मुरादाबाद विकास
- 5) प्राधिकरण के नाम तथा इसी न. सं. 1.02 एकड़ भूमि नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद के आदेशानुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो है. तै. 25-10-02
- 6) 1410 फ आदेशानुसार तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं. 647/31-12-02 को आदेश हुआ कि खाता सं. 240.295.370. के गाटा सं. 263 मि / 2.27 एकड़ में से 0.32 एकड़ लगान 45.00 रु के बकदर भाग से रामराज सिंह विश्वेई पुत्र रामसरन विश्वेई नि. वी. एस. 41 दीनदयालनगर एम. डी. कालोनी मुरादाबाद वसैसिपत मुख्यापारे आम
- 7) श्रीमती रामकली उर्फ रामवती पत्नी नरायनदास नि. झांझनपुर के नाम खारिज होकर श्रीमती मनीषा विश्वेई पत्नी रामराज सिंह विश्वेई वि. एस. 41 दीनदयाल नगर एम. डी. ए. शहर मुरादाबाद व गजरासिंह पुत्र रामसरनसिंह नि. विकास नगर लार्डनगर शहर मुरादाबाद का नाम जरिये वेनामा दर्ज हो है तै
- 8) है तै. 31-1-03
- 9) 1410 फ आदेशानुसार तहसीलदार साहब वाद सं. 491/22.12.02 आदेश हुआ कि खाता सं. 240.295.370 के गाटा सं. 263/0.26 एकड़ व गाटा सं. 336 मि / 0.24/12 एकड़ लगान क्र मशः 2.60 व 2.45 के पूर्ण भाग से रामकली उर्फ रामवती पत्नी नरायनदास व हरप्रसाद व मोहन सिंह व राजकु मार पुत्रगण नरायनदास
- 10) नि. झांझनपुर के नाम खारिज होकर अमृतलाल बजाज पुत्र लक्ष्मनदास बजाज नि. मौ. कोठीवाल नगर शहर मुरादाबाद का नाम जरिये वेनामा दर्ज हो है. तै. 31.1.03
- 11) 1411 फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं. 511/353/03 धारा 34 एल. आर. एकट आदेश दि. 23.1.2004 के अन्तर्गत भानुप्रकाश बनाम मु. पुनिया में गाटा सं. 263 मि रकबई 0.63 मि = 2043.20 वर्ग मीटर स्थित भूमि ग्राम सोनकपुर तह 0 व जिला मुरादाबाद का राज्य सरकार का नाम खारिज करके भानुप्रकाश पुत्र
- 12) स्व0 ओमप्रकाश नि. ग्राम दलपतपुर तह 0 व जिला मुरादाबाद का नाम वजरिये अर्पणीकृत वसियतनामा दि. 27.10.95 के आधार पर दर्ज हो है। प.क. 11 क का इन्द्राज दि. 12.12.1994 खारिज हो है. तै. 24.1.04
- 13) 1411 फ आदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक सं. 584/न.भू.सी./03 दि. 8.12.2003 के अन्तर्गत नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनिमय अधिनियम 1976 के अन्तर्गत प्रश्नात भूमि गाटा सं. 263 श्रीमती पुनिया के नाम है। पूरन और पुनिया दोनों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसी स्थिति में
- 14) में गाटा सं. 263 मि. जो पुनिया के नाम था का श्रीमती पुनिया पत्नी पूरन नि. सोनकपुर मुरादाबाद के जो भी वैध वारिसान हो के नाम दर्ज हो है. तै. 24.1.04

- 15) 1411फ आदेशानुसार तहसीलदार साहब वाद सं.358/23.4.04आदेश हुआ कि खाता सं.370के गाटा सं.336 भि/0.24/12एकड़ L.R.2.45के पूर्ण भाग से अमृतलाल बजाल पुत्र लक्ष्मणदास बजाल नि.कोठीवाल नगर मुरादाबाद का नाम खारिज होकर श्रीमती ऊषा वर्मा पत्नी पनश्याम वर्मा नि.बालार कर्ली मंडावर बिलनौर
- 16) व श्रीमती कमला श्रीधारा पत्नी स्व.शरणाबहादुर नि. लार्डनगर मुरादाबाद का नाम बजरिष्ट बेनामा दि.12.4.2003 के आधार पर दर्ज हो र. ले. 27.4.04
- 17) 1408फ आदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरा.पत्रांक सं. 1.2201/न.भू.सी.2001दि. 2.3.01के अन्तगत वाद सं. 1.264/2699सरकार बनाम नरायणदास मे धारा 45के अन्तगत सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि.8.7.04मे गाटा सं. 1.336भि/1983.03वर्ग मी. गाटा सं. 1.263भि/2116.20वर्ग मी.
- 18) भूमि पर राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित भू-धारक नरायण दास पुत्र बाबू नि.शोकपुर या उसके वैध वारिसान का नाम राजस्व अभिलेखों मे दर्ज हो र. ले. 11.5.2001
- 19) 1409फ आदेशानुसार रा.नि.पाकबहा द्वारा प.क.11क दि.10.4.2002को आदेश हुआ कि खाता सं. 1.370से मृतक नरायणदास के स्थान पर हरप्रसाद,मोहनसिंह राजकुमार पुत्रराण नरायणदास व श्रीमती रामकली उर्फ रामवती पत्नी स्व.नरायणदास नि.ग्राम के नाम वतोर वारिस दर्ज हो र. ले. 10.4.2002
- 20) 1414फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं.0688/134/1601.06आदेश दिनांक 31.1.07 को आदेश हुआकि खातारस0370गाटास0303भि रकबा 0.221व गाटास0239भि 0.117पर अतिरिक्त घोषित भूमि के स्थान पर सक्षम प्राधिकारी मुरादाबाद के आदेश दिनांक 8-5-06व20-1-07के आधार पर मूलकाशतकार
- 21) ग. गैरराम उर्फ गजराय व कु. व. रैरसेन पुत्र खिमी नि.सोनकपुर का नाम तथा बादर विक्रम पत्र ग. गैरराम आदि बहक अमृतलाल आदि एव0 विक्रम पत्र अमृत लाल आदि बहक के वन तलवार के आधार पर ग्राम सोनकपुर स्थित आराली खातास0370गाटास0303भि/ 0.221 है0 मे से 0.202भाग से ग. गैरराम उर्फ गजराय
- 22) व कु. वर सैन पुत्र खिमी नि.सोनकपुर का नाम खारिज करके श्रीमती कें वन तलवार पत्नी शी0एल0तलवार नि0102कोठीवाल नगर शहर मुरादाबाद का नाम सहखातेदार के रूप मे दर्ज हो ह0आर0के 0दिनांक 31-1-07
- 23) 1409फ आदेशानुसार नगर भूमि सीमारोपण मुरा0के पत्रांक सं. 1.328/न.भू.सी.2001दि.14.5.01सं.01लाघ पत्रांक सं. 1089908/न.भू.सी.09दि.8-4-09के द्वारा नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनीयत अधिनियम 1976की धारा -6(1)के अन्तगत भू-धारिका श्रीमती कमला वरू पत्नी साहू चुन्नी लाल नि.सिविल लार्डन मुरा0ग्राम सोनकपुर
- 24) स्थित गाटा सं. 103555के 1/2भाग की भूमि सक्षम प्राधिकारी के अधिनियम की धारा 10(2)के अन्तगत आदेश दि.12.5.98 को भू-धारक के पक्ष मे छोड दिया है ह.ले.2.7.01
- 25) 1415फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरा0पत्रांक सं. 10 235/न.भू.सी.07दि.29.11.07 के अन्तगत पूर्व मे अमलदरामद की गई भूमि ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सं. 1.90भि/1423.20वर्ग मीटर व ग्राम मऊ स्थित गाटा सं. 1.516भि/144.72वर्ग मी.कु ल 2567.92वर्ग मीटर पर राज्य सरकार के स्थान पर श्री बलवीर
- 26) सरन भटनगर पुत्र स्व रामचन्द्र नि.हरपला मुरादाबाद के पक्ष मे दर्ज हो ा तथा उपरोक्त के अतिरिक्त श्री रूपकि शीर भटनगरपुत्र रामचन्द्र नि.हरपला मुरादाबाद की स्थिति वाद सं. 1.1448/5011मे सक्षम प्राधिकारी के आदेशदिनांक 29.10.80 के द्वारा अतिरिक्त घोषित भूमि ग्राम मऊ स्थित गाटा सं. 1.
- 27) 516रकबा1144.72व0मी0ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सं. 1.90भि रकबा 1423.20व0मी0कु ल 2567.92व0मी0भूमि पर तहसीलदारमुरादाबाद द्वारा दिनांक 15.1.90को राज्य सरकारमे पक्ष मे कब्जा लिया गया ा अतःउक्त भूमि राज्यसरकार के पक्ष मे दर्ज हो ह0आर0के 010.3.08
- 28) 1416फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दि.23.10.08के अनुपालन मे आदेश न्यायालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद वाद सं.305.944धारा 45नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम 1976 आदेश दि.10.4.92के अन्तगत सरकार
- 29) बनाम जेठू मे गाटा सं.866व844जो नगर पालिका की सीमा से एक किलोमीटर के बाहर स्थित है की क्रमश.4856-40व0मी0व647.52व0मी0अर्थात कुल 5503.92व0मी0भूमि उसकी कुल 8393.52 व0मी0मे से कम की जाती है जिसे कम करने पर उसके पास कुल भवन सहित 2889.60व0मी0भूमि होती है
- 30) अतःभूधारक की 889.60व0मी0भूमि अतिरिक्त घोषित की जाती है जो गाटा सं.650से अभ्यर्पित की जायेगी तदानुसार आदेश दि.8.8.77संशोधित समझा जाय ा ह0आर0के0दि3.11.08
- 31) 1416फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारीनगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद के पत्रांक 158 न0 भू0सी0 08दि.30.7.08के अनुपालन मे पत्रांक 114 न0भू0सी0 03दि.28.5.03के अन्तगतस्थिति वाद सं. 1.1532/5019मे दापर अधीलमे माननीय अपर जिलाजज बृहम मुरादाबाद के
- 32) आदेश दि.29.5.95के द्वारा सक्षम प्राधिकारी का आदेश निरस्त किया गया तथा वाद रिमाण्डकिया गया जिसके विरूद्ध माननीय उच्चन्यायालयइलाहाबाद मे दापर रिट पाचिका सं. 16729/97माननीय न्यायालय के आदेश दि.15.3.97के द्वारा खारिज की गई तत्पश्चात निरसन आधिनियम
- 33) 1999प्रनवी हो जान के कारण सं. 1क्षम प्राधिकारी के आदेश दि.4.3.2003के द्वारा उक्त वाद निरसितकिया गया तथा वाद पत्रावती निक्षेप की गई तदानुसार वाद मे कब्जा

ली गई निम्न लिखित भूमि पर भुधारक के पक्ष में कब्जा छीड़ने तथा राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार के स्थान

34) पर भुधारक श्री वालकिशोर भटनगर पुत्र स्व0श्री रामचन्द्र नि0हरथला के नाम दर्ज होश्राम का नाम गाटा सं. 1/क्षेत्रफल वर्गमी0मेकम सं. 1.श्राम भऊ श्राटा सं. 1516मि रकवा 1144.72वर्गमी0व 2-श्राम सोनकपुर गाटा सं. 1.90मि रकवा 1443.83वर्गमी0कुल 2कितारकवा 2588.55वर्ग

35) मी0 ह0आर0के07.3.09

36) 1416फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं. 1856/28.5.09को आदेश हुआ कि ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद के खाता सं. 385 के खसरा न.866 रकवा 0.486है0लगानी वमुजिव खतौनी के पूर्ण भाग में से 0.80एकड़ पर से विक्रेता चन्द्रसेन पुत्र स्व0जेट्टू निवासी मिलक भोला सिंह तह0

37) व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज होकर केला शेर सिंह पुत्र भोती सिंह निवासी ग्राम सलारपुर माफ़ी तह0 अमरोहा जिला जे.पी.नगर का नाम सहखारतदार के साथ से0भू0के रूप में द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 4.7.92के आधार पर दर्ज कारजात हो तलक्षत मुतक शेर सिंह पुत्र भोती सिंह निवासी ग्राम सलारपुर माफ़ी तह0

38) अमरोहा जिला जे.पी.नगर का नाम खारिज होकर उसके स्थान पर श्रीमती कान्ति देवी पत्नी राममनोहरलाल निवासी हाल खुशहालपुर तह0व जिला मुरादाबाद का नाम द्वारा दर्जकृत वसीयतनामा दिनांक 2.1.95से0भू0 के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित हो ह0आर0के. 5.6.09

39) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान अपर आयुक्त (प्रशासन) मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद विविध निगरानी सं.ग्रन्थ /2007-08धारा 219एल0आर0एक्ट आदेश दिनांक 29.7.2008के अन्तगत उमा शंकर शर्मा आदि वनाम भानुप्रकाश आदि में खाता सं.195पर प्रतिपक्षी गण दिनांक 1.9.2008के लिए नोटिस जारी

40) किसे जाय 1 अवर न्यायालय द्वारा निर्णत पत्रावली अर्पील सं.7/89/07एवं अर्पील सं.26/123उमा शंकर शर्मा वनाम भानुप्रकाश आदि तथा तनवीर अहमद आदि वनाम भानुप्रकाश आदि एवं विचारण न्यायालय द्वारा निर्णत पत्रावली वाद सं.353/03भानुप्रकाश वनाम मुपुनिया तथा वाद सं.97भानुप्रकाश वनाम श्रीमती

41) पुनिया तलव की जाय 1 तब तक प्रतिपक्षी सं.1भानुप्रकाश पुत्र आमप्रकाश नि.दलपतपुर तह0व जिला मुरादाबाद को वाद प्रस्त आराजी का किसी प्रकार अन्तरण विक्रय करण से निबंध किया जाता है 1 ह0आर0के0दि25.7.09

42) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरा0 के आदेश दि.22.9.09के अनुपालन में आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगरभूमि सीमारोपरण मुरादाबाद पत्रांक 278 न0भू0के008दिनांक 3.10.08के अन्तगत शासन देना सं.513/उन्वस-152/47/पु0सी0/83दिनांक 6.9.86के द्वारा सक्षम प्राधिकारी का आदेश निरस्त करते

43) हुद नये सिरे में भूमि सोमा के निर्धारण की कार्यवाही हेतु पत्रावली प्रत्यावतित की गई /तय्यरखा सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि.24.12.87द्वारा श्राम सोनकपुर स्थित स्थित गाटा सं.879से 8943.87व0मी0गाटा सं. 1.873से 654.44व0मी0कु ल 9598.31व0मी0भूमि अतिरिक्त भूमि घोषित की गई 1 सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि.17.2.01के

44) द्वारा निरसन अधिनियम 1999केअनुसार वाद पत्राक पत्रावली निक्षेप की गई तथाइस कार्यालय के पत्रांक 217 वी दिनांक 2.3.01केद्वारा श्राम सोनकपुर गाटा सं. 1.879/8943.87व0मी0गाटा सं.873.654.44व0मी0कु ल 9598.31व0मी0भूमि से राज्य सरकार के स्थान पर भुधारक श्री वफातीका नाम अंकित करने हेतु लिखा गया

45) जबकि उक्त वाद में गाटा सं. 1.879/8947.87 व0मी0व गाटा सं.873रकवा 1059.14व0मी0का कब्जा दिनांक 22.3.79को तहसीलदार मुरादाबाद द्वारा लिया गया 1 अतःइस कार्यालय द्वारा पुर्व में जारी पत्रांक 217वी0दिनांक 2.3.01के प्रस्तर-3 में अंकित श्राम सोनकपुर स्थित गाटा सं.1.873/654.44व0मी0के

46) स्थान पर 1059.14व0मी0सही पढा जाय 1 ह0आर0के0 023.9.09

47) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपरण मुरादाबाद पत्रांक 100 न0भू0सी0010 दिनांक 30.4.10के अन्तगत वाद सं.2759/101 सरकार वनाम हिन्दू निहान प्रॉटिन प्रॉटिन0में धारा 10(3)के उपरान्त धारा 10(5)की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम 1999के अन्तगत सक्षम

48) प्राधिकारी के आदेश दि.20.2.08के द्वारा वाद पत्रावली पथ स्थिति निक्षेप की गई है अतःगाटा सं.538/133.16 व0मी0गाटा सं.541.654.45व0मी0भूमि पर हिन्दू निहान प्रॉटिन प्रॉटिन0मुरादाबाद का नाम दर्ज हो ह0आर0के0दि5.5.10

49) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक मुरा0 वाद सं. 1.455/28.5.10को आदेश हुआ कि खाता सं. 1.385 के गाटा सं. 1.866/0.486 है.लगान वमुजिव खतौनी के वकदर भाग से विक्र ता चन्द्र सेन पुत्र स्व0जेट्टू नि0 श्राम भोला सिंह की मिलक सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज कर क्ता

50) उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद का नाम वजरिये वैनाभा दर्ज हो ह0आर0के016.6.10

51) 1418फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक मुरा0वाद सं. 1.117/28.5.10को आदेश हुआ कि खाता सं. 1.385 के गाटा सं. 1.866/0.486 है.लगान वमुजिव खतौनी के वकदर भाग से विक्र ता श्रीमती कान्ती देवी पत्नी राम मनोहर लाल नि0श्राम खुशहालपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज कर क्ता

- 52) उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद का नाम वजरिये देनामा दर्ज हो। ह0आर0के0 27.7.10
- 53) 1418फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद वादसं. 77/10धारा 143जोवि0अधि0आदेश दि.18.6.10के अन्तर्गत में हिन्द निहोन प्रोटिन्स बनाम सरकार में तहसील आख्या /संस्तुति के आधार पर खाता सं. 1.30गाटा सं. 1.566/0.028 का 1/2भाग एंव खाता सं. 1.385 के गाटा सं. 1.538मि0.113
- 54) 541/0.065है.को अंक धिक घोषित कि या जाता है तथा लगान समाप्त कि या जाता है ह0आर0के0 018.8.10
- 55) 1420फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद, वाद सं. 31820/454/2011-12धारा34 LR ACT ग्राम सोनकपुर तह0 व जिला मुरादाबाद खाता सं.371 गाटा सं.263/2043.20 वर्ग मी0 भानुप्रकाश बनाम . मु0पुनिया मे दिनांक 19.9.12 के अन्तर्गत प्रश्नगत वाद मे वसीयत अर्धीकृ त होने के फलस्वरूप धारा 169
- 56) मे हुए संशोधन के अनुसार मान्य नहीं है तथा खसरा सं. 263 मे मौके पर आबादी / गैर कृ धि भूमि होने के कारण इस भूमि पर उ0प्र0ज0वि0 एंव भू0व्य0अधि0के प्रावधान लागू नहीं है. वक्तिक व्यक्तिगत विधि लागू है. विरासत का वाद सुनने का अधिकार इस न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है. उक्त विवेचना के
- 57) आधार पर नामान्तरण प्रसूचना निरस्त की जाती है. ह0आर.के...1.4.2013
- 58) 1422फ आदेशानुसार श्रीमान नगर भूमि सीमा रोपण . सक्षम प्राधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक 730-न0भू0सी0/ रिट02014 दिनांक 18नवम्बर 2014 के क्र म मे . मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट संख्या 35789/ 2011 ख.खमानी बनाम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0) मे पारित आदेश दिनांक 07.07.2014 व दिनांक
- 59) 31.10.2014 के अनुपालन मे ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद की गाटा सं.669 रकबा 2549.61वर्ग मी0 भूमि पर जो अतिरिक्त सीलिंग भूमि के खाते मे अंकित है . जिसे निरस्त कर भूधारक खमानी पुत्र तुलाराम का नाम इस शर्त के साथ अंकित कि या जाये , शासनादेश संख्या 319जौ0कदिनांक
- 60) 14.01.1980 मे धारा 20 के अन्तर्गत उल्लिखित निम्नलिखित शर्तों का रिमार्क कॉलम मे अंकन कि या जाये कि 1- भूमि का उपयोग के बल कृ धि के लिये कि या जायेगा . 2- भूमि प्लाटिंग कर विक्र य अन्तरण नहीं कि या जायेगा . परन्तु कृ धक प्रयोजन हेतु विक्र य अन्तरण सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से
- 61) कि या जायेगा . 3- कृ धक प्रयोजन हेतु ऋण प्राप्त करने के लिये बन्धक अन्तरण अधिनियम की धारा -19(एक) (तीन) में उल्लिखित कि सी बैंक . वित्तीय संस्था अथवा . के न्द्र / राज्य सरकार द्वारा स्थापित विनिर्दिष्ट कि सी वित्त निगम या वित्तीय संस्थान के पक्ष मे कि या जा सके गा. ह0आर.के...2.12.2014
- 62) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक, मुरादाबाद द्वारा वादसं0T2151354014307 आदेश दि.24.8.15 को आदेश हुआ कि खातासं.371 के गाटासं.263/1 रकबा 0.2020है. अर्थात् 2020.00 वर्ग मीटर लगान बमुजिव खतौनी पर अंकित त नृतका श्रीमती पुनिया पत्नी पूरन के स्थान पर भानुप्रकाश पुत्र
- 63) स्व0ओमप्रकाश नि0 ग्राम दलपतपुर का नाम बतौर वारिस सं0भू0के रूप मे अंकित त हो ा राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित प0क011 ख आदेश दि.12.2.1994 निरस्त कि या जाता है ा ह0आर.के 031.8.15
- 64) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर, मुरादाबाद द्वारा वादसं0T20151354014413 धारा 210एल0आर0एक्ट आदेश दि.28.08.2015 के अन्तर्गत गिरीशचन्द्र आदि बनाम भानुप्रताप शर्मा मे खतौनी वर्ष 1420-25 के खातासं.371के खसरानं. 263/1 रकबाई 0.2020है. अर्थात् 2020.00वर्ग
- 65) मीटर लगान बमुजिव स्थित भूमि ग्राम सोनकपुर तह0 व जिला मुरादाबाद अवर न्यायालय का आदेश दि. 24.08.2015 अग्रिम आदेशो तक स्थगित किया जाता है ा ह0आर.के 07.9.15
- 66) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर, मुरादाबाद द्वारा वादसं0T20141354015842 आदेश दि.15.09.15 को आदेश हुआ कि खातासं.371के खसरानं.873मि रकबा 0.040है. लगान बमुजिव खतौनी के बकदर भाग मे से 0.0100है. पर से विक्र ेता वफाती पुत्र इतवारी नि0 ग्राम मिलक भोला सिंह
- 67) सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज करके उनके स्थान पर क्र ेता श्रीमती श्रुति श्रीवास्तव पत्नी शैलेंद्र सक्सेना निवासी डी-73 . आवतिका कालौनी, शाहर व तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम सहखातेदार के रूप मे बजरिये देनामा दि.20.02.14 के आधार पर सं0भू0के रूप मे दर्ज हो ा ह0आर.के 0 30.09.15
- 69) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर, मुरादाबाद के आदेश दि.08.06.16के अनुपालन मे ग्राम सोनकपुर की खातासं.371 पर श्रुतिवश न्यायालय तहसीलदार सदर, मुरादाबाद वादसं. T20141354015892 आदेश दि.15.09.15 दर्ज हो गया है ा की श्रुति की श्रुति करते हुए उक्त
- 70) आदेश खाता संख्या 252 पर अंकित कि या जाता है ा ह0आर.के 08.6.16
- 71) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद . पत्रांक 20660-न0भू0सी0/ 2016 दिनांक 30.05.16 के अन्तर्गत महबूब पुत्र श्री फे जबरख

- निवासी मिलक भोला सिंह मुरादाबाद के सीलिंग वाद सं. 316/1589 में धारा 45 के अन्तर्गत पारित सक्षम प्राधिकारी के
- 72) आदेश दिनांक 28.02.1992के द्वारा ग्राम सोनकपुर के गाटा सं.620 से 4168.41 वर्ग मीटर व गाटा सं.547 से 629.17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा सं.296 से 8255.88 वर्गमीटर भूमि अतिरिक्त रिक्त घोषित की गयी है जिसके सम्बन्ध में धारा-10(5) का नोटिस दिनांक 09.11.1993 को जारी किया गया
- 73) तथा राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार के पक्ष में अमलदरामद कि या गया लेकिन प्रश्नगत वाद में धारा -10 (5)के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष में कब्जा लेने की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम -1999के परिपेक्ष में पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28.5.16 के द्वारा उक्त
- 74) वाद की कार्यवाही उपशमित कर पत्रावली निक्षेप की जाती है, ऐसी स्थिति में प्रश्नगत ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सं.620 से 4168.41 वर्ग मीटर व गाटा सं.547 से 629.17 वर्गमीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा सं.296से 8255.88वर्ग मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर भूधारक
- 75) श्री महबूब अथवा उसके वैध वारिसानों के नाम अंकित करे, ह0आर के ...17.6.2016
- 76) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 2060/न0भू0सी0/2016 दिनांक 30-05-16 के अन्तर्गत श्री महबूब पुत्र फैजवख्सा निवासी मिलक भोला सिंह मुरादाबाद के सीलिंग वाद सं 315/1589 में धारा 45के अन्तर्गत पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-02-1992 के द्वारा ग्राम सोनकपुर की गाटा संख्या 620 से 4168-41 वर्ग मीटर व गाटा संख्या 547 से 629-17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा संख्या 296 से 8255-88वर्ग मीटर भूमि अतिरिक्त रिक्त घोषित की गई है जिसके सम्बन्ध में धारा 10(5)का नोटिस दिनांक 09-11-93 को जारी किया गया तथा राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार के पक्ष में अमलदरामद किया गया लेकिन प्रश्नगत वाद में धारा 10(5) के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष में कब्जा लेने की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम 1999के परिपेक्ष में पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-05-16 के द्वारा उक्त वाद की कार्यवाही उपशमित कर पत्रावली निक्षेप की जाती है ऐसी स्थिति में प्रश्नगत ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा संख्या 620 से 4168-41 वर्ग मीटर व गाटा संख्या 547 से 629-17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर की गाटा संख्या 296 से 8255-88 वर्ग मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर भूधारक श्री महबूब अथवा उसके वैध वारिसानों के नाम अंकित हों ह0आरके23-07-16
- 77) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद के पत्रांक 2190/न0भू0सी0/अमलदरामद/2016 दिनांक 30/07/16 के अनुपालन में वाद सं0 436/5216 सरकार बनाम छोटेलाल में जिलाधिकारी महोदय, के आदेश दिनांक 17/06/16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा सं0 792 क्षेत्रफल 1793.04 वर्ग मीटर भूमि अर्जन सीलिंग से मुक्त कर भूधारक छोटेलाल अथवा उसके वैध वारिसानों के नाम दर्ज हों ह0आर0के0 30/07/16
- 78) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद पत्रांक 2191/न0भू0सी0/अमलदरामद/ 2016 दिनांक 30/07/16 के अनुपालन में वाद सं0 1310/5214 सरकार बनाम बालकिशन में जिलाधिकारी महोदय, के आदेश दिनांक 17/06/16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा सं0 792 क्षेत्रफल 1793.04 वर्ग मीटर भूमि अर्जन सीलिंग से मुक्त कर बालकिशन अथवा उसके वैध वारिसानों के नाम अंकित हों, ह0आर0के0 30/07/16
- 79) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 12.8.16के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद पत्रांक सं0 2219/न0भू0सी0/2016 दिनांक 12अगस्त 2016के अन्तर्गत अख्तर आदि के द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम सोनकपुर के गाटा सं0798मि0की उद्धरण खतोनी फसली वर्ष 1420फ से 1425फ प्रस्तुत की है जिसमें 0.30880हे0अर्थात 30880वर्गमीटर भूमि अतिरिक्त घोषित दर्ज है सीलिंग वाद सं0 200/600सरकार बनाम अख्तर सीलिंग वाद सं0 173/599 सरकार बनाम मटरू एवं सीलिंग वाद सं0 190/602सरकार बनाम मुख्तार में जिलाधिकारी मुरादाबाद के आदेश 4.8.16के द्वारा भूधारक अख्तर आदि की ग्राम सोनकपुर के गाटा सं0 798 की 4564.25व0मी0भूमि सीलिंग से मुक्त है अतः ग्राम सोनकपुर के गाटा सं0 798 की 30880व0मी0भूमि जिसपर अतिरिक्त घोषित दर्ज हो ा के स्थान पर श्री अख्तर, मटरू एवं श्री मुख्तार अथवा उनके वैध वारिसों के नाम दर्ज हो ा ह0आर0के0दि 12.8.16
- 80) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद कम्प्यूटर वाद सं0 टी 20151354014413 धारा 210एल0आर0एक्ट ग्राम सोनकपुर गिरीश चन्द्र बनाम भानु प्रकाश शर्मा में आदेश दि 28.9.16के अन्तर्गत वादीगण की अपील की कार्यवाही निरस्त की गई है तथा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 28.8.2015को भी निरस्त किया गया है खतोनी वर्ष 1420फ से 1425फ के खाता सं0 371 के खसरा नं0 263/1 रकवर्द 0.2020हे0अर्थात 2020.00वर्ग मीटर लगान वमूजीब दर्ज हो ह0आर0के0दि 03.10.16
- 81) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 31-01-17 के अनुपालन में आदेश श्रीमान अपर आयुक्त प्रशासन मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद निगरानी संख्या टी 2016130092 धारा 219 एल0आर0एक्ट आदेश दिनांक 19-01-17 के अन्तर्गत गिरीश चन्द्र गुप्ता बनाम शिवानन्द भारद्वाज आदि में ग्राम सोनकपुर को खाता संख्या 371 पर order of lower court shall remain stayed. ह0आर0के08-03-17

82) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमाशेपण मुरादाबाद पत्रांक संख्या 2476/न0भू0सी0/2017 दिनांक 01-03-2017 के अन्तर्गत सीलिंग वाद संख्या 310/1589 सरकार बनाम श्री महबूब आदेश दिनांक 28-05-2016/मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल रिट याचिका संख्या 854/2012 श्री महेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0सरकार में ग्राम सोनकपुर की गाटा संख्या 620 रकवर्द 4168-41 व गाटा संख्या 547 रकवर्द 629-17 पर सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-05-2016 के अनुपालन में उक्त भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर महबूब अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम दर्ज होे हआरके08-03-17

83) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 21-03-17 के अनुपालन में जिलाधिकारी मुरादाबादके आदेश दिनांक 15-03-17 द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 17-06-16 व 04-08-16 अपास्त किये गये है तथा पूर्व जारी कार्यालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमाशेपण मुरादाबाद पत्रांक 2190/न0भू0सी0/अमलदरामद/2016 दिनांक 30-07-16 ग्राम सोनकपुर गाटा संख्या 792/1793-04 वर्ग मीटर भूमि का छोटैला अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने तथा कार्यालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमाशेपण मुरादाबाद पत्रांक 2191/न0भू0सी0/अमलदरामद/2016 दिनांक 30-07-16 ग्राम सोनकपुर गाटा संख्या 792/1793-04 वर्ग मीटर भूमि का बालकेशन अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम एवं कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक 2219/न0भू0सी0/2016 दिनांक 12-10-16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा संख्या 798 की 30880 वर्ग मीटर जिस पर अतिरिक्त घोषित दर्ज होे के स्थान पर भूधारक श्री अख्तर, मटरू एवं श्री मुख्तार अथवा उनके वैध वारिसानो के नाम राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद किये जाने सम्बन्धी आदेश पारित किये गये है। दिनांक 12-08-16 को वापस ले लिया गया है। तदानुसार उक्त पत्रों के आधार पर भूधारकों के पक्ष में किये गये अमलदरामद के स्थान पर राज्य सरकार का नाम अंकित किया जाता है। हआरके24-3-17

84) 1425फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 02-02-18 के अनुपालन में - आदेशानुसार न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद वाद सं टी201813540100557 धारा 144 राजस्व सहिता 2006 आदेश दिनांक 30-01-2018 के अन्तर्गत गिरीशचन्द्र गुप्ता बनाम भानु प्रकाश शर्मा आदि में ग्राम सोनकपुर की खाता संख्या 371 पर वाद के निस्तारण तक मौके पर यथा स्थिति बनाये रखे हआरके19-02-18

85) 1425फ आदेशानुसार श्रीमान एस0वी0तिवारी, अपर आयुक्त (प्रशासन) मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद निगरानी संख्या-सी0 2017130092 धारा 219 एल0आर0एक्ट आदेश दिनांक 27/07/2017 के अन्तर्गत गिरीशचन्द्र गुप्ता बनाम शिवानन्द भारद्वाज आदि में ग्राम सोनकपुर की खाता सं0 371 के गाटा सं0 263/1 रकबा 0.202हे0 अर्थात 2020.00 वर्ग मी0 पर परीक्षण न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 28/09/2016 में किसी इस्तक्षेप का औचित्य न पाते हुए निगरानीकर्ता की निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है, इस न्यायालय का स्थगन आदेश यदि कोई होे, भी निरस्त किया जाता है ह0आर0के0 ह0आर0के0 19/05/2018

86) 1428फ आदेशानुसार श्रीमान कार्यालय रा0नि0 दुष्यन्त कुमार क्षेत्र हरथला आवेदन संख्या 2020131350071900144। राजस्व सहिता की धारा 33(2) के अन्तर्गत उत्तराधिकार आदेश दिनांक 19.11.2020 को आदेश हुआकि खाता सं0 377 पर मृतक खमानी पुत्र तुलाराम के स्थान पर हरपाल सिंह, ज्ञानपाल सिंह पुत्रगण खमानी सिंह नि0भोगपुर मिठौनी के नाम वतौर वारिस दर्ज होे ह0आर0के0दि 28.12.2020

Data Digitally Signed by:RAM SINGH RAWAT(DRAGISTRAR KANOOJG0)

दिनांक समय स्थान: 25-02-2025 11:19:23 गढ़सीत : मुरादाबाद


एक उदरगत यादोनी दर्तादर्शिका दिनांशो सिस्टरन द्वारा तैयार की गयी है तथा द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

गुहिल कर्ता : TUSIAAH BHATTANAGAR गढ़सीत : मुरादाबाद

मुद्रित दिनांक एवं समय: 25-02-2025 11:19:23

Not Applicable For Online Print: उपरोक्त उदरगत यादोनी का वैशेषिकेशन

https://judgesahib.gov.in Website पर जाकर अवगत QR Code Scan करके किया जा सकता है।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

455922



- 3 DEC 2009

बयनामा



बयनामा 7,98,400 / -रु० भारतीय 7,98,400 / -रु० स्टाम्प 56,000 / -रु०

मैं/हम कि श्री विश्राम सिंह पूथी सिंह, सूरजपाल, राजेन्द्र सिंह, अशोक कुमार पुत्रगण श्री परशोत्तम, श्रीमती रमादेवी पत्नी स्व० श्री परशोत्तम निवासी-मिलक भोला सिंह चर्क सोनकपुर, तहसील व जिला मुसदाबाद का प्रथम पक्ष बिक्रेता व उपायवाह, मुसदाबाद विकास प्राधिकरण, मुसदाबाद द्वितीय पक्ष क्रेता है ।



विश्राम सिंह



सूरजपाल



अशोक कुमार



राजेन्द्र सिंह

प्रथम कुमार सिंह
सिद्धम साहव
मुसदाबाद विकास प्राधिकरण
मुसदाबाद



बल्लर प्रदेश UTTAR PRADESH

455923



-2-

- 3 DEC 2009

जो कि एक किता काररा आराजी गकरर भाग गाटा सं0-699 रकबई 0.121 हैक्टयर एवं गाटा सं0-665मि रकबई 0.036 हैक्टयर खाला खतीनी नं0-293 जायदाद जेल जमीं ताल्लुकाल मुताल्लिका उसके गके ग्राम सोनकपुर व जिला मुरादाबाद महदूता जेल जिसके मुकिर/मुकिरान व हैसियत मालिकाना मालिक काबिज व दखील है जिसकी निस्वत हाकको कुल अख्तयारात इन्तकालत मालिकाना प्राप्त है कोई अंगमाने इन्तकाल हाजा नहीं है जो इत समय तक हर प्रकार के बार मिरल रहन, वय हिवा, जमानत किफालत मुर्की व नीलाम मुआयदावय दीगरे व लौन सरकारी व गैरसरकारी बगीचा मरज कि हर मुक्स कानूनी व शरती आदि से कतई वरी व पाक साफ है ।



प्रति हजर किं
संजुल सांकर
मुआयदा निगम जांकरण
बल्लर

राशियागुमाल

- ① राशियागुमाल
- ② मोन पुषा
- ③ सुअजामल
- ④ राजे
- ⑤ राशियागुमाल



- 3 DEC 2009 -

-3-

जिलाका वसन्त दुस्ती शेष हवाश समस्त जिला गृहकार्ये व शिवाये व दवाय नाजाल किली के खुब सोच समझकर तमामी शायमुर्दशा मजकूरनाला को मय तमामी हद्द व हकुक देखली व खास्ती व मय हकुक आवरेली हर किसम व मय हक सरता आमदोरफत व मय दीगर कुल हक व हकुक मुतालिका उसके को जिला छोडे किस्ती जुज व हक व हिरसे के बिल एजल मुबलिया रूपये 7,98,400/- (सात लाख अठानवे हजार चार सौ रूपये) आगे जिसके मुबलिया रूपये 3,99,200/- (तीन लाख निन्यानवे हजार दो सौ रूपये) वसन्त उपायवा. मुस्तादाबाद विकास प्राधिकरण, मुस्तादाबाद केता वय कलाई और फरोस्त काभिल करके कुल जरे समन उसका हस्व तफसील जैल खरीदार से वसूल पाकर तमामी शायमुर्दशा मजकूर वाला का कब्जा व देखल मालिकाना जिल्ल जात अपनी के खरीदार मजकूर का करा दिया मने अब हमारा या किस्ती गरिश का कुछ हक न आइन्दा कमी होगा ।

२७



किशोर सिंह

②



① पुष्पा



जमिंदार



③ सुरेशचन्द्र



④ रामेश



जमिंदार

⑤

प्रधान कुमार सिंह
संयुक्त सचिव
गुजरात विधान परिषद
गुजरात

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

₹. 500

FIVE HUNDRED
RUPEES



RS. 500



INDIA NON JUDICIAL

- 3 DEC 2009
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 525971

- 4 -

घुनाचे तकविविजुल बदलेन उसका ववाहम विकेता कर्जल्लाह या औलाद या अन्य वाद को कोई कानूनन या शास्त्रन वाके आवे । अगर वाद को किसी फेज विकेता कर्जल्लाह या औलाद या अन्य किसी दीगर शख्स की दावेदारी से शायमुवईया कुल या जुज कळजे खरीदार या वारिसान उनके से निकल जावे या वगरज तहफकपुल शायमुवईया खरीदार को कुछ सर्फा मजौद खर्च या अदा करना पड़े तो उसी कदर जरे समन की वापसी का मुकिर/मुकिरान मजबूर अपनी जाल व दीगर जायदाद जरे समन की वापसी का मुकिर/मुकिरान मजबूर अपनी जाल व दीगर जायदाद मनकाला व गैर मनकाला हर किस्म अपनी से कुल हजे खर्च अदालती साहित देनदार व जिम्मेदार रहेंगे वनीज आज तक की तगामी कानूनी देनदारियां व जिम्मेदारियों जिममें मुकिर/मुकिरान होंगी । अब खरीदार को हक व अधिकार है कि वह कागजात सरकाशी में न हमासा नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा ले विकेता वारिसार मुकिरान को कुछ नज्ज व एतराज न होगा ।

प्रतिपक्ष पक्ष
संयुक्त सचिव
मुजराका प्रसार प्रविक्त
प्रधान

विशाल सिंह

① सधा

② मुहम्मद

③ राजेंद्र

④


अशोक कुमार

अमदी

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

₹. 500 FIVE HUNDRED
RUPEES

रक्षित सौ रक्षाये



RS. 500



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 525972

-5-

अतः यह बयानमा कतई लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे इति । तफसील जरे समन रूपये 7,98,400/- (सात लाख अठानवे हजार चार सौ रुपये) बैंक संख्या 129207 दिनांक 02.12.2009 केनरा बैंक एम.डी.ए. शाखा मुरादाबाद द्वारा कबल रजि० बयानमा बरूल पाए । तफसील जायदाद जोकि एक किला आराजी काश्त बहालत उर्फतादा गाटा सं०-699 रकबई 0.121 हैक्टियर एवं गाटा सं०-665मि रकबई 0.036 हैक्टियर खाला खतौनी नं०-293 वाकय गाम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद की उद्धरण खतौनी फसली वर्ष 1414-1419 के अनुसार की असल मालिक श्री विश्राम सिंह पृथी सिंह, सूरजपाल, राजेन्द्र सिंह, अशोक कुमार पुत्रगण श्री परशोत्तम, श्रीमती रमादेवी पत्नी स्व० श्री परशोत्तम निवासी-मिलक भोला सिंह उर्फ सोनकपुर, तहसील व जिला मुरादाबाद मालिक है जो हर तरह से पाक साफ है तथा भरे/हमारे द्वारा यह भूमि किसी अन्य को विक्रय नही की गयी है ।

प्रदाय कुमार सिंह
संपुका सारे व
मुरादाबाद निवास
मुरादाबाद

विक्रय पत्रिका

२ पृथी

३ मुरादाबाद

४ राजेन्द्र

अशोक कुमार



विक्रंता एवं गवाहन की पहचान पर श्री फरद अली, एडवोकेट पंजीयन सं०-7470/05 बैम्बर नं०-385 कचहरी मुरादाबाद द्वारा प्रामाणित है । आराजी वक्फ या कार्टोडियन की नहीं है आराजी का कोई मुआयदावय नहीं हुआ है, आराजी खाली प्लॉट है कोई निर्माण नहीं है आज तक मुख्तारनामा आम मसूख नहीं हुआ है । आज तक श्री विश्राम सिंह पृथी सिंह, सूरजपाल, राजेन्द्र सिंह, अशोक कुमार पुत्रगण श्री परशोत्तम, श्रीमती रमादेवी पत्नी स्व० श्री परशोत्तम निवासी-भिलक मोला सिंह चर्क सोनकपुर, तहसील व जिला मुरादाबाद आराजी मुइया कृषि भूमि खतरा नं०-699 एवं 665मि का सरकिल रेट जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित जारी मूल्यांकन सूची परिशिष्टि-एक उपखण्ड-ग के क्रमांक-31 के अनुसार रूपये 10,00,000/- प्रति एकड नियमित है, किन्तु मुरादाबाद विकास प्राधिकरण रूपये 19,00,000/- प्रति एकड की दर से गलियत पर रटाम शुल्क रूपये 56,000/- अदा किया जा रहा है उक्त रेलवे मार्ग मुरादाबाद जिल्ली से करीब 500 मी० दूर दक्खिन की तरफ है ।

प्रतिपक्ष पक्ष
श्रीमती रमादेवी
श्रीमती रमादेवी
श्रीमती रमादेवी

जोशिया सिद्ध

1 पृथी

2 सुरेशचन्द्र

3 मन्जु

FEARAD ALI
(Advocate)
Regd. No. 7470/05
MOR. ADABAD.

श्रीमती रमादेवी



4 श्रीमती रमादेवी




- 7 -

हदद अरवा आराली मुबईया गाटा सं० 665

पूरव-	गाटा संख्या-675
पूरियाग-	गाटा संख्या-664
उत्तर-	सीलिंग भूमि एवं चकगार्ग
दक्षिण-	गाटा संख्या-675

हदद अरवा आराली मुबईया गाटा सं० 699

पूरव-	सीमा भोगपुर मिठीनी
पूरियाग-	चकगार्ग
उत्तर-	गाटा संख्या-697, 698
दक्षिण-	गाटा संख्या-700


प्रदीप कुमार सिंह
संयुक्त संसद
मुजराबाद विस्तार प्राधिकरण
मुजराबाद


विशाला सिंह





७  दूबा

८  श्रीमान

९  राजेश

 अशोक कुमार

६  शशी

- 8 -
लिविंग सिंग  श्री पूषी 
 श्री सुरेशपाल 

हरदाबाद

श्री विश्राम सिंग पृथ्वी सिंग, सूरज
पाल, राजेन्द्र सिंग, अशोक कुमार
पुत्रगण श्री परशोत्तम, श्रीमती
रमादेवी पत्नी स्व० श्री परशोत्तम
निवासी-मिलक भोला सिंग उर्फ
सोनकपुर, तहसील व जिला
मुरादाबाद ।

विकेता






प्रदीप कुमार सिंह
संयुक्त सचिव

मुद्रादाबद 
मुद्रादाबाद

उपाय्यास, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

क्रेता



साक्षी-1 श्री शराफत पुत्र श्री भूरा
निवासी-सोनकपुर
तहसील व जिला मुरादाबाद ।

हरताबाद
श्री शराफत



साक्षी-2 श्री राकेश पुत्र श्री फकीरा
निवासी-सोनकपुर
तहसील व जिला मुरादाबाद ।

हरताबाद
श्री राकेश

- 9 -

यह बयाननामा हाजा दिनांक 05.12.2009 को बर्हकारर मशवरा पक्षकारान बमुकाम
मुरादाबाद टाईप किया गया ।

बर्हकारर मुरादाबाद
सुसुकरा मुरादाबाद
मुरादाबाद

1) श्री शराफत
2) श्री राकेश
3) श्री शराफत
4) श्री राकेश
5) श्री शराफत
6) श्री राकेश

PARAD ALI
(Advocate)
Regd. No. 7470/05
MORADABAD.

नवाशा जिल्हा


नवाशा जिल्हाभूत रतेहन व विविधा मुद्राणाभार

जारा मं. ६६८ दि. ०-०३-६० ई.

२१



जारा मं. ६६४



एकूण ०-०३६० ई.

महेश कुमार शिंदे
संयुक्त सचिव
मुद्राणाभार विकास प्राधिकरण
मुद्राणाभार

३/१२/०९
WILL
जोला मं. ६६५

१) १९३५/१२/६

२) ०३-१२-०९
मुद्राणाभार

३) अ. २२२१११११

४) अ. ३१३-५

५) अ. ३१३-५

अ. ३१३-५



गणेशाय नमः

श्री गणेशाय नमः

गणेशाय नमः - ६९९

दिनांक - ०-१२-२०१९

२६

६

श्री गणेशाय नमः

गणेशाय नमः ६९७, ६९८

गणेशाय नमः ६९९

दिनांक - ०-१२-२०१९

गणेशाय नमः ७००

श्री गणेशाय नमः

०३-१२-०९

३/१२/०९

श्री गणेशाय नमः

श्री गणेशाय नमः

श्री गणेशाय नमः

श्री गणेशाय नमः

श्री गणेशाय नमः

श्री गणेशाय नमः

श्री गणेशाय नमः

श्री गणेशाय नमः

श्री गणेशाय नमः

वही नं० I भिन्न 629। के पृष्ठ 45/64 से
कर्मक 6923 पर आग दिनांक
आ रजिस्ट्री की गई। SI/2109
उप निदेशक
रजिस्ट्रार



कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद

संख्या- 1002/विभागाध्यक्षसहा0/2024 -25

दिनांक- 15-10-2025

विषय- मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सोनकपुर आवासीय योजना के अन्तर्गत आने वाली ग्राम समाज भूमि का मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की भूमि से वितरण किये जाने के सम्बन्ध में।

सविष्ट
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद।

कृपया उपर्युक्त विषयक आयुक्त मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद के निर्णय/स्वीकृति पत्र संख्या 989/आठ-28 (8024-25)/एजन्स-प्रथम, दिनांक 13.10.2025 के क्रम में, ग्राम सोनकपुर, तहसील एवं जनपद मुरादाबाद स्थित ग्राम समाज की भूमि का मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद को भूमि से श्रेणी परिवर्तन/विनिमय के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। उक्त पत्र के अनुसार, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को प्रस्तावित भूमि विनिमय के सम्बन्ध धनराशि रुपये 24,61,700/- (चौबीस लाख इकसठ हजार सात सौ मात्र) नियमानुसार तेजा शीर्षक 10024-मुराजस-800-अन्य प्रादियां-08-मालिकाना राजस्व-0800-प्रकीर्ण प्रादियां में भूमि पर कब्जा देने से पूर्व जमा की जानी है।

अतएव आयुक्त महोदय का निर्णय/स्वीकृति पत्र, दिनांक 13.10.2025 की भाषाप्रति संलग्न कर इस अनुपत्र के साथ प्रेषित है कि विनिमय के सम्बन्ध धनराशि रुपये 24,61,700/- (चौबीस लाख इकसठ हजार सात सौ मात्र) नियमानुसार तेजा शीर्षक 10024-मुराजस-800-अन्य प्रादियां-08-मालिकाना राजस्व-0800-प्रकीर्ण प्रादियां में जमा कराते हुए जमा बालान की एक प्रति उपजिलाधिकारी सदर, मुरादाबाद व एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करने का कट कर ताकि उक्त विनिमय का राजस्व अनिलेखा में अभिलेखापद कराया जा सके।

संलग्न-संख्यांक।

(गुलाम चन्द)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
मुरादाबाद।

संख्या व दिनांक-संख्यांक।

प्रतिलिपि- उपजिलाधिकारी सदर, मुरादाबाद को आयुक्त महोदय के उक्त निर्णय/स्वीकृति पत्र, दिनांक 13.10.2025 की भाषाप्रति इस निदेश के साथ प्रेषित है कि प्राधिकरण से बालान की प्रति प्राप्त होने के पश्चात उक्त निर्णय का अभिलेखापद राजस्व अनिलेखा में कटकर उद्धार खतानियों की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
मुरादाबाद।




निर्णय / स्वीकृति

जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा अपने पत्र सं०-००९ / जिलाभूज्या0सहा10 / पुन० / 2025-26 दिनांक 20-09-2025 संशोधित के माध्यम से मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सोनकपुर आवासीय योजना के अन्तर्गत घने वाली ग्राम समायोजनी ग्राम-सोनकपुर तहसील व जिला-मुरादाबाद की भूमि गाटा सं०-०74मि० रकबा 0.3080है० में से 0.2280है० व गाटा सं०-०7०मि० रकबा 0.4००0है० में से 0.25०0है० अर्थात कुल 0.4780है० भूमि, जो राजस्व अभिलेखां में श्रेणी-०(2) रास्ता के रूप में दर्ज है, जो प्राधिकरण की योजना के वाउन्सी के अन्दर आरम्भ तो हो रही है, परन्तु समाप्त नहीं हो रही है, का ग्राम सोनकपुर /सहयादि आवासीय योजना में प्राधिकरण द्वारा कच्य की गयी भूमि गाटा सं०-०45अ रकबा 0.1130है० में से 0.0140है०, गाटा सं०-०47 रकबा 0.5100है० के अपने बकदर भाग 0.4780है० में से 0.0940है०, गाटा सं०-०49 रकबा 0.2790है० में से 0.0440है०, गाटा सं०-०50मि० रकबा 0.1940है० में से 0.0900है०, गाटा सं०-०६4अ रकबा 0.2310है० में से 0.1210है०, गाटा सं०-०६६मि० रकबा 0.0360है० में से 0.0210है०, गाटा सं०-०६८ रकबा 0.0120है० में से 0.0050है०, गाटा सं०-०६८८ रकबा 0.1210है० में से 0.0210है०, गाटा सं०-०६८९ रकबा 0.1940है० में से 0.0500है० एवं गाटा सं०-०६९5 रकबा 0.1820है० में से 0.0180है० अर्थात कुल 10 किलो रकबा 0.4780है०, जो वर्तमान में राजस्व अभिलेखां में श्रेणी-1(क) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है, से किये जाने हेतु विनियम प्रस्ताव संस्तुति सहित उपलब्ध कराया गया है।

उक्त विनियम प्रस्ताव के परीक्षण हेतु मण्डल स्तर पर गठित परीक्षण समिति को बैठक दिनांक 06-10-2025 को अपर आयुक्त-द्वितीय के कार्यालय कम्र में सम्मन हुयी। समिति द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06-10-2025 उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें उल्लिखित किया है कि जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा उल्लिखित किया है कि श्रेणी परिवर्तन / विनियम हेतु प्रस्तावित भूमि के किसी भाग पर कब्रिस्तान, शमशान या अन्य धार्मिक स्थल के रूप में प्रयोग नहीं है अथवा अन्य कार्य के लिये भी सुरक्षित नहीं है और न ही प्ररनगत भूमियों के विनियम से धार्मिक उत्तेजना की आशंका है। क्षेत्रवासियों के सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए अपेक्षित भूमि आरक्षित की जा चुकी है। उपरोक्त विनियम किए जाने से क्षेत्र के सुनियोजित विकास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। गाटा सं०-०47 में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के साथ-साथ अन्य सहयातेदार हैं, सभी सहयातेदारों का मौके पर विभाजन है तथा अपने-अपने भाग पर काबिज है। मौके पर कब्जे को लेकर कोई विवाद नहीं है। श्रेणी परिवर्तन / विनियम हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम-सोनकपुर तहसील व जिला-मुरादाबाद स्थित श्रेणी-०(2) रास्ते की भूमि गाटा सं०-०74मि० रकबा 0.3080है० में से 0.2280है० व गाटा सं०-०7०मि० रकबा 0.4००0है० में से 0.2500है० अर्थात कुल 0.4780है० की प्रचलित दर जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा निर्धारित मूल्यांकन सूची के आधार पर रूपये 2,0६,00,000 /—(रूपये दो करोड़ छः लाख) प्रति हेक्टेयर के अनुसार रूपये 98,46,800 /—(रूपये अठानवें लाख छियासीस हजार आठ सौ मात्र) है तथा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित श्रेणी-1(क) भूमि गाटा सं०-०45अ रकबा 0.1130है० में से 0.0140है०, गाटा सं०-०47 रकबा 0.5100है० के अपने बकदर भाग 0.4780है० में से 0.0940है०, गाटा सं०-०49 रकबा 0.2790है० में से 0.0440है०, गाटा सं०-०50मि० रकबा 0.1940है० में से 0.0900है०, —

2पर



गाटा। सं0-8843। रकमा 0.2310है0 में से 0.1210है0, गाटा सं0-885फि0 रकमा 0.0360है में से 0.0210है0, गाटा सं0-888 रकमा 0.0120है0 में से 0.0050है0, गाटा सं0-888 रकमा 0.1210है0 में से 0.0210है0, गाटा सं0-889 रकमा 0.1940है0 में से 0.0500है0 एवं गाटा सं0-806 रकमा 0.1820है0 में से 0.0180है0 अर्थात मूल 10 किता कुल रकमा 0.4780है0 की प्रमलित तर जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा निर्धारित मूल्यांकन सूची के आधार पर रूपये 2,08,00,000 /-(रूपये दो करोड़ छः लाख) प्रति हेक्टेयर के अनुसार रूपये 98,48,800 /-(रूपये अठानवे लाख छियासीस हजार आठ सौ मात्र) आगणित की गयी है। श्रेणी परिवर्तन/विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि का भूमि प्रबन्धक समिति, सोनकपुर द्वारा भी कृपकों के हितों को धृष्टिकोण रखते हुए विनिमय किये जाने हेतु नियमानुसार प्रस्ताव पारित किया गया है। श्रेणी परिवर्तन/विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये लोक उपयोगिता और उपयुक्तता प्रमाण पत्र में उल्लिखित है कि उक्त विनिमय जनहित में उपयोगी और उपयुक्त है तथा ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण को प्राप्त होने वाली भूमि का सम्पर्क मार्ग भी उपयुक्त है एवं भविष्य में स्थानीय निवासियों को सार्वजनिक उपयोग करने में कोई बाधा नहीं होगी। परीक्षण समिति का मन्तव्य है कि जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा संस्तुति सहित उपलब्ध कराया गया उक्त विनिमय प्रस्ताव मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सोनकपुर आवासीय योजना के विकास हेतु किया जा रहा है, जो जनाहित में है। इसलिये उक्त विनिमय को स्वीकृत किये जाने में किसी प्रकार की कोई विधिक बाधा परिलक्षित नहीं होती है। अतः उक्त विनिमय शासकीय कार्यालय में किया जाना उचित प्रतीत होता है, की आख्या दी गयी है।”

अतः मैं, **आञ्जनेय कुमार सिंह** मन्डलायुक्त, मुरादाबाद, जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा उपलब्ध कराये गये उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय प्रस्ताव से सहमत होते हुए प्रमुख सचिव, राजस्व अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश सं0-32/744/एक-1-2018-20(5)/2018 दिनांक 03 जून, 2018 एवं शासनादेश सं0-32/745/एक-1-2018-20 (5)/2018 दिनांक 03 जून, 2018 तथा शासन की अधिसूचना सं0-15/2023/731/एक-1-2023-1-1088/34/2023, दिनांक 03.08.2023 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भागसभाज की भूमि ग्राम-सोनकपुर तहसील व जिला-मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद की भूमि ग्राम-सोनकपुर तहसील व जिला-मुरादाबाद की निम्न तालिका में अंकित भूमियों का श्रेणी परिवर्तन कर विनिमय किये जाने की अनुमति इस प्रतिपत्र के साथ प्रदान करता हूँ कि संस्था भूमि का उपयोग विहित प्रयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेगी तथा शासनादेश सं0-32/745/एक-1-2018-20(5)/2018 दिनांक 03 जून, 2018 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संस्था मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद कलेक्टर द्वारा विनिमय में सर्किल रेट के आधार पर निर्धारित की गयी धनराशि रूपये 88,48,800 /-का 25 प्रतिशत के बराबर धनराशि अर्थात रूपये 88,48,800 /-का 25 प्रतिशत कुल रूपये 24,61,700 /-(रूपये चौबीस लाख इकसठ हजार सात सौ मात्र) लेखा शीर्षक'0029-गुराजस्व-800-अन्य प्राप्तिर्यो-08-मालिकाना राजस्व-0808-प्रकीर्ण प्राप्तिर्यो' में भूमि पर कब्जा लेने से पूर्व कलेक्टर द्वारा जमा कराया जायेगा।

...3पर



श्रेणी परिवर्तन/विभिन्न तालिका

विभिन्न 1 की वर्गीय वर्गीय					विभिन्न 2 की वर्गीय वर्गीय				
क्र	श्रेणी परिवर्तन पूर्व वर्गीय की वर्गीय	गाटा रत	रकम (रु०)	प्रतिशत क्षेत्रफल (रु० मी)	क्र	श्रेणी परिवर्तन पूर्व वर्गीय की वर्गीय	गाटा रत	रकम (रु०)	प्रतिशत क्षेत्रफल (रु० मी)
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रा. शासक्युर श्रेणी-4(2) वरत	674/10	0.2000	0.2280	प्रा. शासक्युर श्रेणी-1(क)	645/2	0.1130	0.1130	0.0140
2	प्रा. शासक्युर श्रेणी-4(2) वरत	676/10	0.4000	0.2600	प्रा. शासक्युर श्रेणी-1(क)	647	0.6100	0.6100	0.0940
3					प्रा. शासक्युर श्रेणी-1(क)	648	0.2780	0.2780	0.0440
4					प्रा. शासक्युर श्रेणी-1(क)	650/1	0.1940	0.1940	0.0000
5					प्रा. शासक्युर श्रेणी-1(क)	664/2	0.2310	0.2310	0.1210
6					प्रा. शासक्युर श्रेणी-1(क)	665/1	0.0200	0.0200	0.0210
7					प्रा. शासक्युर श्रेणी-1(क)	668	0.0120	0.0000	0.0000
8					प्रा. शासक्युर श्रेणी-1(क)	669	0.1310	0.1310	0.0210
9					प्रा. शासक्युर श्रेणी-1(क)	680	0.1940	0.1940	0.0600
10					प्रा. शासक्युर श्रेणी-1(क)	695	0.1620	0.1620	0.0160
	00 कि०	-	-	0.6180	10 कि०	-	-	0.6180	
1	प्रा. शासक्युर श्रेणी-1(क)	671/0	0.2000	0.2280	प्रा. शासक्युर श्रेणी-4(2) वरत	645/2	0.1130	0.1130	0.0140
2	प्रा. शासक्युर श्रेणी-1(क)	671/10	0.4000	0.2600	प्रा. शासक्युर श्रेणी-4(2) वरत	647	0.6100	0.6100	0.0940
3					प्रा. शासक्युर श्रेणी-4(2) वरत	649	0.2780	0.2780	0.0440
4					प्रा. शासक्युर श्रेणी-4(2) वरत	665/1	0.1940	0.1940	0.0000
5					प्रा. शासक्युर श्रेणी-4(2) वरत	664/2	0.2310	0.2310	0.1210
6					प्रा. शासक्युर श्रेणी-4(2) वरत	665/1	0.0200	0.0200	0.0210
7					प्रा. शासक्युर श्रेणी-4(2) वरत	668	0.0120	0.0000	0.0000
8					प्रा. शासक्युर श्रेणी-4(2) वरत	669	0.1310	0.1310	0.0210
9					प्रा. शासक्युर श्रेणी-4(2) वरत	680	0.1940	0.1940	0.0600
10					प्रा. शासक्युर श्रेणी-4(2) वरत	695	0.1620	0.1620	0.0160
	00 कि०	-	-	0.6180	10 कि०	-	-	0.6180	

जिलाधिकारी, मुरादाबाद तदनुसार राजस्व अभिलेखा में संशोधन करना सुनिश्चित करें।

(आञ्जनय कुमार सिंह)
आयुक्त।

- कार्यालय आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद
- सं० 89 / आठ-28 (2024-25) रा०सं०-प्रथम दिनांक: 15/10/2025
- प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजित :-
- 1- प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ।
 - 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, अनुभाग-5, लखनऊ।
 - 3- जिलाधिकारी, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ भेजित कि वह सामस्त न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्रवाई पूर्ण करें।
 - 4- सचिव, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।


आयुक्त।